सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 82/प्रेसनोट/2021 **15 फरवरी 2021**

<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

थाना-अतरौलिया

कुटरचित तरिके से फर्जी बैनामा कराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 15.01.2018 को श्री सोमनाथ जायसवाल पुत्र रामदास जायसवाल निवास ग्राम उपटापार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ एवं दिनांक 09.08.2018 को श्री चन्द्रभान यादव पुत्र सीताराम यादव निवासी ग्राम सेल्हरा पट्टी थाना अतरौलिया द्वारा कुटरचित तरिके से फर्जी बैनामा कराने के सम्बन्ध में शिकायत पर थाना स्थानीय पर क्रमशः मु 0अ0सं0-07.2018 धारा 467,468,471,419,420 भादवि व मु 0अ0सं0-169/2018 धारा 419,420,467,468,471 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवचना कार्यवाही से अभियुक्त सुदीप कुमार वर्मा उर्फ संदीप पुत्र स्व0 मोतीलाल निवासी मकान नं G- 51 यशोदा नगर थाना नौबस्ता जनपद कानपूर नगर प्रकाश में आया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वाछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के दिशा निर्देशन में आज दिनांक 15.02.2021 को प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया दिनेश कुमार यादव मय हमराह के द्वारा वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मौजूद थे कि उसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हु ई कि थाने पर पंजीकृत अभियोग मु 0अ.सं0 7/18 धारा 419/420/467/468/471/120B भादवि व मु 0अ.सं0 169/18 धारा 419/420/406 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त सुदीप कुमार वर्मा उर्फ संदीप पुत्र स्व0 मोतीलाल निवासी मकान नं G- 51 यशोदा नगर थाना नौबस्ता जनपद कानपूर नगर अपने मित्र रणविजय सिंह पुत्र अतवारू निवासी हैदरपुर खास थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ से मिलने हेतु मदियापार मोड़ पर आया | सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया मय हमराहियान के मदियापार मोड़ पर पहुचकर अभियुक्त को समय करीब 08.00 बजे सुबह गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया |

सम्बन्धि अभियोग

1. मु0अ0सं0- 7/18 धारा 419/420/467/468/471/120B भादवि थाना अतरौलिया आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0- 169/18 धारा 419/420/406 भादवि थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

सुदीप कुमार वर्मा उर्फ संदीप पुत्र स्व0 मोतीलाल निवासी मकान नं G- 51 यशोदा नगर थाना नौबस्ता जनपद कानपूर नगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया दिनेश कुमार यादव मय हमराह , का0 भोलू यादव का 0 मनोज यादव , महिला आरक्षी सरिता यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ।

थाना- गम्भीरपुर

दुराचार व अश्लील वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

वादिनी मुकदमा /पीड़िता के तहरीरी सूचना कि हम प्रार्थनी के गाँव के राहुल पुत्र नरेश राम द्वारा मेरी गलत तरीक से वीडियो बनाकर ब्लैक मेल कर रहा है। मेरे पुरे परिवार को जान से मारने की धमकी व इज्जत ले रहा है। मेरी गलत विडीयो बनाकर मो0नं0 8115615645 से वायरल किया। जिससे हम व मेरा परिवार डरा सदमा हुआ है के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 20/21 धारा 506 भादवि व 66 IT ACT बनाम राहुल पुत्र नरेश राम ग्राम सरायपल्टू थाना गम्भीरपुर , आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह आजमगढ़ द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक ज्ञानू प्रिया मय हमराह के मुखबिर खास आकर सूचना दिया कि मु0अ0सं0 20/21 धारा 376,506 भादवि व 66 IT ACT से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभियुक्त राहुल पुत्र नरेश राम ग्राम सरायपल्टू थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ रोहुआ मुस्तफाबाद मोड़ पर खड़ा है इस सूचना पर विश्वास कर प्र0नि0 मय हमराह को साथ लेकर मौके से प्रस्थान कर रोहुआ मुस्ताफाबाद मोड़ से पहले पहुचे तथा मुखबिर खास दूर से इशारा करके हट बढ़ गया कि पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देकर पकड़ लिया गया तथा नाम पता पूछा गया तो अपना नाम राहुल पुत्र नरेश राम ग्राम सरायपल्टू थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ बताया। जिसको कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 06.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 20/21 धारा 506 भादवि व 66 IT ACT थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

राहुल पुत्र नरेश राम ग्राम सरायपल्टू थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्र0नि0 ज्ञानू प्रिया का0 बैजनाथ सरोज, का0 मोनू कुमार, म0का0 स्वप्निल सक्सेना

थाना- महराजगंज

लड़की को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

महराजगंज थाना क्षेत्र के वादी ने थाने पर आकर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 3/02/2021 को करीब 12 बजे दिन में अभियुक्त जलंधर S/O अमेरिका निषाद निवासी ग्राम भाऊपुर ने मेरी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। मेरी लड़की की उम्र लगभग 13 वर्ष है। उपरोक्त की भाभी का हाथ भी भगाने में है। वादी के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 32/21 धारा 363, 366, 120 B IPC पंजीकृत किया गया।

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम मे **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल नेतृत्व में

आज दिनांक 15.02.2021 को SI राजेन्द्र प्रसाद मय हमराही कर्म0गण के थाने से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र , पेंडिग विवेचना, तलाश वारंटी तलाश वांछित व विवेचना हेतु क्षेत्र मे मौजूद थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 32/21 धारा 363, 366, 120 B IPC से सम्बन्धित अभियुक्त जलंधर S/O अमेरिका निषाद निवासी ग्राम भाऊपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ के ग्राम हूँसेपुर बाजार के पास मौजूद हैं , कहीं जाने की फिराक मे खड़ा है। उ0नि0 मय हमराही कर्मचारीगण व मुखबिर खास के साथ बउम्मीद गिरफ्तारी छिपते छिपाते हूँसेपुर बाजार के पास आये जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। मुखबिर खास इशारा करके हट बढ़ गया । पुलिस टीम खड़े हुए व्यक्ति को एकबारगी घेर कर पकड़ लिये। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना अभियुक्त जलंधर S/O अमेरिका निषाद निवासी ग्राम भाऊपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया। पकड़े गया व्यक्ति मुकदमा उक्त का नामित एवं धारा 363 , 366 IPC का अभियुक्त है। कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर समय करीब 10.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 32/21 धारा 363, 366, 120 B IPC
गिरफ्तार अभियुक्त-
जलंधर S/O अमेरिका निषाद निवासी ग्राम भाऊपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
SHO गजानन्द चौबे के नेतृत्व मेंSI राजेन्द्र प्रसाद,का0 अंकित मिश्रा

थाना- कप्तानगंज
चोरी की मोटरसाईकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 15.02.2021 को तलाश वांछित अपराधी व वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु देखभाल क्षेत्र व रात्रि गश्त में मामूर होकर मुखबीरी सूचना के आधार पर व0उ0नि0 कृष्णानन्द प्रसाद मय हमराहियान के द्वारा रामवृक्ष निषाद पुत्र हजारी निषाद ग्राम टहरकिशुनदेवपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ़ को रोककर पूछताछ कर जामा तलाशी के दौरान चोरी की मोटर साइकिल बरामद होने के उपरान्त दिनांक 15.02.2021 को कारण गिरफ्तारी बताकर समय 08.00 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 22/2021 धारा 41 द0प्र0सं0 व 411 भा0द0वि0 पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 22/2021 धारा 41 द0प्र0सं0 व 411 भा0द0वि0
गिरफ्तार अभियुक्त-
रामवृक्ष निषाद पुत्र हजारी निषाद ग्राम टहरकिशुनदेवपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ़।
7.बरामदगी- 01 अदद मोटर साइकिल हीरो स्पलेंडर प्रो
8-गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. व0उ0नि0 कृष्णानन्द प्रसाद थाना कप्तानगंज
2. हे0का0 सन्तोष यादव
3. का0 प्रभात सिंह

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में 06 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना कोतवाली

दो नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता के कुशल नेतृत्व में व मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 / एफ0 टी0 सी0 कोर्ट नं0 प्रथम आजमगढ़ से प्राप्त वारण्ट मु0नं0 07/13 व 10/13 धारा 8/22 NDPS से सम्बन्धित अभि0गण श्याललाल सोनकर पुत्र फूलचन्द्र सोनकर निवासी गुलामी का पुरा थाना कोतवाली , आजमगढ़ उम्र 58 साल व विनोद सोनकर पुत्र श्यामलाल सोनकर निवासी उम्र 30 वर्ष निवासी गुलामी का पुरा थाना कोतवाली , आजमगढ़ तारिख पेशी 20.02.2020 निर्गत द्वारा न्यायालय ए0एस0जे0 / एफ0 टी0 सी0 कोर्ट नं0 प्रथम आजमगढ़ की तामिला हेतु उ0नि0 संजय तिवारी प्रभारी चौकी एलवल मय हमराह द्वारा उपरोक्त आदेश के क्रम में मोहल्ला गुलामी का पुरा पहुचे तो वारंटी श्याललाल सोनकर पुत्र फूलचन्द्र सोनकर निवासी गुलामी का पुरा थाना कोतवाली , आजमगढ़ उम्र 58 साल व विनोद सोनकर पुत्र श्यामलाल सोनकर निवासी उम्र 30 वर्ष निवासी गुलामी का पुरा थाना कोतवाली , आजमगढ़ घर पर मौजूद मिले । अभि0गण को वारण्ट दिखाकर कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है।

वारण्ट आदेश –

1. मु0नं0 10/13 धारा 8/22 NDPS Act. बनाम विनोद सोनकर पुत्र श्यामलाल सोनकर निवासी उम्र 30 वर्ष निवासी गुलामी का पुरा थाना कोतवाली, आजमगढ़
2. मु0नं0 07/13 धारा 8/22 NDPS Act. बनाम श्याललाल सोनकर पुत्र फूलचन्द्र सोनकर निवासी गुलामी का पुरा थाना कोतवाली, आजमगढ़ उम्र 58 साल

गिरफ्तार अभियुक्त

1. श्याललाल सोनकर पुत्र फूलचन्द्र सोनकर निवासी गुलामी का पुरा थाना कोतवाली, आजमगढ़ उम्र 58 साल
2. विनोद सोनकर पुत्र श्यामलाल सोनकर निवासी उम्र 30 वर्ष निवासी गुलामी का पुरा थाना कोतवाली, आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 संजय तिवारी चौकी प्रभारी एलवल थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. का0 सद्दाम हुसैन अंसारी थाना कोतवाली, आजमगढ़
3. का0 अमरजीत निषाद थाना कोतवाली, आजमगढ़
4. का0 राहुल कुमार थाना कोतवाली, आजमगढ़

थाना- गम्भीरपुर

दो नफर वारंटी गिरफ्तार

प्र0नि0 श्रीमती ज्ञानू प्रिया के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 सतीष कुमार यादव मय हमराह के देखभाल क्षेत्र व चेकिंग वाहन व तलाश वांछित अभियुक्त में कस्बा गम्भीरपुर में मौजूद थे कि मुखबिर खास की सूचना पर मु0नं0 171/2019 धारा 138 NI ACT से सम्बन्धित वारंटी विनय शंकर उपाध्याय पुत्र श्रीकान्त उपाध्याय ग्राम व पोस्ट गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ को उसके घर गम्भीरपुर से दिनांक 14.02.2021 को समय करीब 19.10 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

मु0नं0 171/19 धारा 138 NI ACT

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u> –

विनय शंकर उपाध्याय पुत्र श्रीकान्त उपाध्याय ग्राम व पोस्ट गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

उ0नि0 सतीष कुमार यादव मय हमराह हे0का0 मोतिचन्द्र व हे0का0 पवन कुमार यादव व का0 सुधाकर सिंह व का0 बृजेश शर्मा

<u>थाना सिधारी</u>

<u>एक नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार</u>

मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय आजमगढ़ से प्राप्त आदेश मु0न0 05/2015 ता0पे0 16.02.2021 वारण्टी अभियुक्त दीप नारायण यादव पुत्र स्वर्गीय विभूति नारायण यादव पता वरिष्ठ लिपिक कार्यालय जिला कृषि अधिकारी आजमगढ़ के गिरफ्तारी हेतु आदेश के क्रम मे प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र के निर्देशन मे उ0नि0 जाफर खान मय हमराह द्वारा इजरा नंबर 05/2015 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय पारिवारिक न्यायालय आजमगढ़ से सम्बंधित वारण्टी अभियुक्त दीप नारायण यादव पुत्र स्व0 विभूति नारायण यादव नेहरू साव की गिरफ्तारी हेतु दबिश देते हुये वारण्टी अभियुक्त दीप नारायण यादव पुत्र स्वर्गीय विभूति नारायण यादव पता वरिष्ठ लिपिक कार्यालय जिला कृषि अधिकारी आजमगढ़ को नरौली तिराहा से दिनांक 16.02.2021 समय 8.00 बजे गिरफ्तारी का कारण बताकर गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. अभियुक्त दीप नारायण यादव पुत्र स्वर्गीय विभूति नारायण यादव पता वरिष्ठ लिपिक कार्यालय जिला कृषि अधिकारी आजमगढ़

<u>गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण</u>

प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

उ0नि0 जाफर खाँ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

हे0का0 रामप्रकाश चौधरी

थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

थाना- बरदह

एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांरटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी के दृष्टिगत चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 15.02.2021 को उ0नि0 संजय सिंह मय हमराह का0 सौरभ सिंह का0 रानू सैनी का0 योगेन्द्र सिंह द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत एनबीडब्लू मु0न0-79/2019 धारा 125 द0प्र0द0 के वारण्टी रमेश सोनकर के घर ग्राम केदलीपुर थाना बरदह आजमगढ पहुचे तो एक व्यक्ति घर के सामने अलाव तापते पाया गया जिसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम रमेश सोनकर पुत्र दुबरी सोनकर ग्राम केदलीपुर थाना बरदह बताया जिसको एनबीडब्लू से अवगत कराते हुये समय करीब 10.20 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।